



समृद्ध माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश गवालियर मुम्प०

पुनरीक्षण प्रकरण नं०- R- ५८५-५८३ सन्-२०१२-१३

गोकुल तनय अमृद्या चार

निवासी ग्राम धिनौची तह० बडामलहरा जिला छतरपुर म०प० .. आवेदक

### बनाम

१- सुनियाँ बाई पत्नी धरमदास चार

निवासी ग्राम कचारी तह० बक्सवाहा जिला छतरपुर म०प०

२- लच्छी बाई पत्नी फुल्ली चार

निवासी ग्राम दमोतीपुरा तह० बिजावर जिला छतरपुर म०प०

३- मध्य प्रदेश शासन .. .. अनावेदकगण

यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय उपर्युक्त

अधिकारी बिजावर तहसील बिजावर जिला

छतरपुर द्वारा राजस्व प्र०प०-५४/अप्र०/२०११-

१२ में पारित आदेश दिनांक ०८.०२.१३ से

असंतुष्ट होकर म०प० मूर राजस्व संहिता १९५९

के संशोधित अधिनियम २०११ की धारा ५० के

अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

=====

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी 485—दो / 2013

जिला—छतरपुर

गोकुल विरुद्ध सुनिया बाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12—02—2019	<p>आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, जिला—छतरपुर के प्र.क्र. 54/अपील/2011—2012 में पारित आदेश दिनांक 08—02—2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला—छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	<p>लग्ज (अर.के. जैन) 12/21/2019 सदस्य</p>